

मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण, झांसी

पीठासीन अधिकारी- श्री चंद्रोदय कुमार, H.J.S.

M.A.C.P. No. ~~158~~ 95/2019

श्रीमती कस्तूरी एवं अन्य बनाम अनीता मिश्रा एवं अन्य

याचीगण के अधिवक्ता- श्री आलोक कुमार खरे

विपक्षी संख्या तीन के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला

राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांक: 10.07.2021

आज यह पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। याचीगण श्रीमती कस्तूरी एवं दीपक अहिरवार मय अधिवक्ता उपस्थित हैं। विपक्षी संख्या-तीन चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील शुक्ला उपस्थित हैं।

उभय पक्ष की आंर से सन्धि पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में याचीगण एवं विपक्षी संख्या-तीन बीमा कम्पनी के मध्य प्रतिकर की धनराशि रु.3,00,000 प्रतिकर के लिए राजीनामा हो गया है। अतः उक्त प्रकरण उपरोक्त राजीनामा के आधार पर निस्तारित कर दिया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त राजीनामा प्रपत्र पर याचीगण के हस्ताक्षरों की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार खरे के द्वारा तथा विपक्षी संख्या-तीन चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. की शिनाख्त श्री सुनील शुक्ला द्वारा की गयी है, शेष विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त राजीनामा को न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किया गया है।

चूंकि इस प्रकरण में याचीगण एवं विपक्षी संख्या-तीन के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः उपरोक्त राजीनामा को स्वीकार करते हुये उक्त प्रकरण राजीनामा के आधार पर निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

याचीगण एवं विपक्षी संख्या-तीन की आंर से प्रस्तुत सन्धि पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वर्तमान प्रतिकर याचिका याची श्रीमती कस्तूरी व दीपक अहिरवार एवं विपक्षी संख्या-तीन चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. की ओर से प्रस्तुत उक्त राजीनामा के आधार पर रु.3,00,000 प्रतिकर हेतु निर्णीत की जाती है। उपरोक्त प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि में से आधी राशि अर्थात् रु.1,50,000 याची संख्या-एक श्रीमती कस्तूरी एवं रु.1,50,000 याची संख्या-दो दीपक अहिरवार RTGS/NEFT के माध्यम से नकद प्राप्त करेंगे। उक्त राजीनामा /सन्धि पत्र निर्णय का भाग रहेगा।

बीमा कं. धनराशि ट्रिब्युनल के खता सं. 92352010008560 IFSC- CNRB0019235 में जमा करेंगी।

(चंद्रोदय कुमार)

पीठासीन अधिकारी

मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,
झांसी

Corrected vide order dated 20.7.2021

PO, MACT JHANSI
20.7.21

MACP NO. recorrected vide order dated 26.07.2021

PO
MACT JHANSI